न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 198/25 तारीख दायर 19/11/25

कालूसिंह उर्फ जवानसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम्

1. नन्दसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. शम्भूसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भंवरसिंह पुत्र खमाणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 23/12/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्यामलाल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियांकलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम उन्द्रो का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 323 पर अंकित आराजी संख्या 711/352 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

...खत व आहदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 198/25 तारीख दायर 19/11/25

प्रेषिति :– फैसला :– 23/12/25

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....198........../ 2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

कालूसिंह उर्फ जवानसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम्

1. नन्दसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवड़ा (राज0)
2. नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवड़ा (राज0)
3. शम्भूसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवड़ा (राज0)
4. भंवरसिंह पुत्र खमाणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवड़ा (राज0)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम उन्द्रो का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 323 पर अंकित आराजी संख्या 711/352 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियांकलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ